...न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

प्रकरण : संख्या –

शीर्षक.................................... बनाम....................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	25-4-2025 पत्रा० पेश हुई। अनुसार पक्षकारान उप० प्रकरण में तहसीलदार कुचामन से छानबीन एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रा० की गयी। पत्रावली रिपोर्ट पर बहस हेतु दिनांक 9/5/2025 को पेश हो।
	9-5-2025 पत्रा० पेश हुई। अनुसार पक्षकारान उप० [illegible] रिपोर्ट पर बहस हेतु समय चाहा गया है। समय दिया जाकर पत्रा० दि० 9/6/25 को पेश हो।
	9/6/25 पत्रा० पेश हुई। अनुसार पक्षकारान उप०। प्रकरण में प्रार्थना पत्र 136 पर एवं TDR रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थना 136 LRAct स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रा० किया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 178/2022
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 07.10.2022
निर्णय दिनांक – 09.06.2025

अनवान

1. हरनारायण पिता पृथ्वीराज जी आचार्य, निवासी पीपली आचार्यान तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   1/1 श्रीमती चाँदी बाई पत्नि स्व.श्री हरनारायण जी आचार्य, निवासी पीपली आचार्यान तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द
   1/2 श्रीमती गंगा शर्मा पुत्री हरनारायण जी आचार्य, पत्नि शंकर जी शर्मा, निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/3 श्रीमती रूकमण शर्मा पुत्री हरनारायण जी आचार्य, पत्नि राधेश्याम जी शर्मा, निवासी गिलूण्ड, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   1/4 श्रीमती शारदा तिवारी पुत्री हरनारायण जी आचार्य, पत्नि बृजेश जी तिवारी, निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
   1/5 श्रीमती दुर्गा दाधीच पुत्री हरनारायण जी आचार्य, पत्नि प्रमिल जी दाधीच, निवासी चंगेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर
   1/6 श्रीमती रिकुबाला आचार्य पुत्री हरनारायण जी आचार्य, पत्नि सुनील कुमार जी व्यास, निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार राजसमन्द

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री डुंगरसिंह कर्णावट
विपक्षी सं. 1 – पेरोकार राज,

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रस्तुत कर निवदेन किया कि ग्राम पिपली आचार्यन तहसील कुंवारीया जिला राजसमन्द की पूर्व खाता संख्या 264, 432, 433 जिसके वर्तमान खाता संख्या 916 की आ.सं. 3110, वर्तमान खाता संख्या 918 की आ.सं. 1561, 2093, 2791 व 283 व वर्तमान खाता संख्या 919 की आ.सं. 2057, व वर्तमान खाता संख्या 107 की आ.सं. 3251/747, 747 बने है। यह भूमिया कई खातेदारो की शराकति थी और इन भूमियो मे श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य निवासी पिपली आचार्यन का भी हिस्सा था। श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य निवासी पिपली आचार्यन के कोई औलाद नही हाने के कारण व उनकी सेवा चाकरी प्रार्थी श्री हरनारायण द्वारा किये जाने के कारण उक्त श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य ने ग्राम पिपली आचार्यन स्थित अपने खातेदारी की सम्पुर्ण भूमिया श्री हरनारायण को वसीयत कर दी और एक निष्ठा पत्र (वसीयत नामा) दिनांक 14/12/1964 को प्रार्थी श्री हरनारायण के पक्ष में निष्पादित कर दिया। उक्त श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य की मृत्यु के बाद उक्त खातो में मृतक श्री भुरालाल की जितनी भी जमीन थी उसका नामान्तरण करण संख्या 432 दिनाक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

28/04/1980 को फैसल किया गया जिसके अनुसार वसीयत नामा के आधार पर श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य के खाते की सारी जमीन श्री हरनारायण प्रार्थी के नाम पर करने का आदेश हुआ। राजस्व अभिलेखो मे प्रार्थी श्री हरनारायण को वसीयत कि गई उक्त भूमि को श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य की विरासत से प्राप्त होना बताकर प्रार्थी श्री हरनारायण मुतबन्ना श्री भुरालाल जी आचार्य अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थी हरनारायण कभी भी श्री भुरालाल पिता श्री भैर जी आचार्य के यहा गोद नही गया। प्रार्थी की पैतृक भूमिया भी प्रार्थी के नाम अंकित है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम पृथ्वीराज अंकित है इन खातो मे भी प्रार्थी का पैतृक हिस्सा है, जिसमे भी प्रार्थी के पिता का नाम पृथ्वीराज ही अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, राशन कार्ड, वोटरलिस्ट, पेन कार्ड, नल कनेक्शन, वृद्धावस्था पेंशन सभी मे प्रार्थी के पिता का नाम पृथ्वीराज ही अंकित है। इन खातो मे जहा जहा प्रार्थी के पिता का नाम श्री भुरालाल जी आचार्य अंकित हो गया है, जो गलत अंकित हुआ है नामान्तरणकरण के विरूद्ध अंकित हुआ है और जिसकी वजह से प्रार्थी को कई परेशानिया उत्पन्न हो रही है और प्रार्थी को उक्त भूमियो के हस्तांतरण करने, विकास करने आदि में भी कठीनाई उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी के दिवंगत हो जाने पर उक्त भुमिया प्रार्थी के वारीसान के नाम दर्ज होने में भी भारी कठीनाई हो जाएगी। जमाबन्दीयो मे जो अंकन वर्तमान मे किया गया है, उसमे जॅहा जॅहा प्रार्थी के पिता का नाम श्री भुरालाल जी आचार्य अंकित किया गया है उसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। उक्त भुल नामान्तरणकरण के बाद राजस्व अभिलेखो मे अंकन करते वक्त पटवारी जी द्वारा वसियत की जगह वारिस लिख देने के कारण हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। अन्य खातेदारो के नाम पर जो जो भूमिया अंकित है वो यथावत रहेगी केवल प्रार्थी के पिता का नाम जहा–जहा श्री भुरालाल लिख दिया है उसके स्थान पर श्री पृथ्वीराज अंकित करना है, इसलिए केवल राज्य सरकार को ही पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्तमान खाता संख्या 916, 918, 919 व 107 की भूमीयो में प्रार्थी श्री हरनाराण के पिता के रूप में जहॉ जहॉ श्री भुरालाल अंकित किया गया है उसकी जगह श्री पृथ्वीराज अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गए दिनांक 25.04.2025 को विपक्षी तहसीलदार राजसमन्द ने जवाब एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपली आचार्यन की जमाबंदी संवत 2077 से 2077 के खाता संख्या 916, 918, 919, एवं राजस्व ग्राम पीपली आचार्यन से नवसृजित राजस्व ग्राम केशवनगर की जमाबंदी 2077 से 2077 के खाता संख्या 107 में वाद ग्रसित भूमिया दर्ज है। ग्राम पीपली आचार्यन के नामांतरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 28.4.1980 से वादी के पिता का नाम पृथ्वीराज के बजाय मु. भुरालाल एवं भुरालाल वादग्रस्त भूमियों में ईन्द्राज हुआ। पीपली आचार्यन के नामांतरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 28.4.1980 से श्री हरनारायण को वसीयत बक्षिस की गई भूमियों को भूरालाल पिता भेर जी आचार्य की विरासत से प्राप्त बताकर प्रार्थी श्री हरनारायण के पिता का नाम पृथ्वीराज के बजाय हरनारायण मु. भुरालाल आचार्य अंकित कर दिया गया है जबकि हरनारायण पिता पृथ्वीराज आचार्य दर्ज किया जाना था। पीपली आचार्यन की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 916, 918, 919 एवं केशवनगर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 107 में प्रार्थी की पैतृक भूमियों में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम पृथ्वीराज अंकित है। ग्राम पीपली आचार्यन के नामांतरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 28/4/1980 से–राजस्व अभिलेखों यथा जमाबंदी में वादी के पिता का नाम पृथ्वीराज के बजाय मु भुरालाल एवं भुरालाल दर्ज किया गया है जो गलत है। ग्राम पीपली आचार्यन के नार्मान्तरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 28/4/1980 किस्म विरासत बता रखा है साथ में बक्षिसनामा चस्पा होना इन्द्राज कर रखा है तथा ग्राम पंचायत के निर्णय में वसीयत से निर्णित कर रखा है। नामांतरण दायर के दौरान सहवन से पटवारी जी द्वारा वसीयत बक्षिस की भूमियो को विरासत के नामांतरण से इन्द्राज कर दिया जिससे वादी के पिता का नाम पृथ्वीराज के बजाय मु. भुरालाल एवं भुरालान दर्ज हो गया एवं नामान्तरण प्रक्रिया में किसी गोदनामा का विवरण नहीं आया है चूंकि वसीयत बक्षिस की गई भूमियों में पिता के प्राकृतिक पिता का नाम ही किया जाता है। अतः प्रकरण में वादी के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में नाम मु. भुरालाल एवं भुरालाल के बजाय पृथ्वीराज दर्ज किया जाना सही है।

राजसमन्द · सत्यमेव जयते

सहायक कल...
(उपखण्ड अ...)

रिपोर्ट में सारांश में पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार जाहिर आया कि वादी हरनारायण पिता पृथ्वीराज आचार्य को भूरालाल पिता भेर जी आचार्य द्वारा वसीयत बक्षिस की गई भूमियों का ग्राम पीपली आचार्यन के नार्मान्तरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 28/4/1980 से राजस्व अभिलेखी में अमल दरामद किया गया वक्त नामान्तरण वसीयत/बक्षिस की गई भूमियो में वादी हरनारायण के पिता का नाम पृथ्वीराज के बजाय मु. भुरालाल एवं भुरालाल दर्ज कर दिया गया जो गलत है अतः राजस्व अभिलेखों में वादी हरनारायण के पिताजी का नाम मु.भुरालाल एवं भुरालाल के बजाय पृथ्वीराज दर्ज किया जाना उचित है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार जवाब/जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब/जांच रिपोर्ट में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तावित शुद्धि किया जाना उचित बताया गया है। तहसीलदार राजसमन्द की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनिम 1956 साबित होने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम पीपली आचार्यन की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–77 के खाता संख्या 916, 918, 919 एवं केशवनगर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–77 के खाता संख्या 107 में वादी हरनारायण पिता पृथ्वीराज आचार्य को भूरालाल पिता भेर जी आचार्य द्वारा वसीयत बक्षिस की गई भूमियों में प्रार्थी हरनारायण के पिता का नाम मु. भुरालाल एवं भुरालाल के बजाय पृथ्वीराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द